रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 514] | नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2008/आश्विन 1, 1930 |
| No. 514] | NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2008/ASVINA 1, 1930 |

## संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### (बेतार योजना और समन्वय खण्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अत्यन्त अल्प क्षमता सुदूर ह्रद मानीटरी रेडियो आवृत्ति बेतार चिकित्सा युक्तियां, चिकित्सा रोपित संसूचना प्रणाली (एम आई सी एस) या चिकित्सा रोपित दूरमिति प्रणाली (एम आई टी एस) और ऐसी अन्य अत्यन्त अल्प क्षमता चिकित्सा रेडियो आवृत्ति बेतार युक्तियां या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2008 है।

(2) ये नियम 402-405 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रभावी विकिरित शक्ति" में ऐन्टेना की लब्धि, यदि कोई है, सम्मिलित है;

(ग) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।

3. **अत्यन्त अल्प क्षमता सुदूर ह्रद मानीटरी रेडियो आवृत्ति बेतार चिकित्सा युक्तियां, चिकित्सा रोपित संसूचना प्रणाली (एम आई सी एस) या चिकित्सा रोपित दूरमिति प्रणाली (एम आई टी एस) और ऐसी अन्य अत्यन्त अल्प क्षमता चिकित्सा रेडियो आवृत्ति बेतार युक्तियां या 402-405 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में उपस्करों का उपयोग.**—किसी विधि में तत्समय प्रवृत्त किसी बात के होते हुए भी, बिना हस्तक्षेप, बिना संरक्षण और भागीदारी (गैर-अनन्य) के आधार पर निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी

समरैशिक विकिरित क्षमता और अन्य तकनीकी प्राचलों सहित अत्यन्त अल्प क्षमता सुदूर हृद मानीटरी रेडियो आवृत्ति बेतार चिकित्सा युक्तियां, चिकित्सा रोपित संसूचना प्रणाली (एम आई सी एस) या चिकित्सा रोपित दूरमिति प्रणाली (एम आई टी एस) और ऐसे अन्य अत्यन्त अल्प क्षमता चिकित्सा रेडियो आवृत्ति बेतार युक्तियां या 402-405 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में उपस्करों के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को किसी व्यक्ति द्वारा स्थापना करने, उसका अनुरक्षण करने, उससे कार्य, प्रक्रिया या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी

| आवृत्ति बैंड | अधिकतम प्रभावी विकिरित क्षमता (ईआरपी) और उत्सर्जन बैंडविड्थ | ऐन्टेना का प्रकार |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 402-405 मेगाहर्ट्ज | 300 किलोहर्ट्ज के भीतर चैनल उत्सर्जन बैंडविड्थ सहित 25 माइक्रोवाट या उससे कम की अधिकतम प्रभावी विकिरित क्षमता (अधिकतम ईआरपी) | अन्तर्निर्मित ऐन्टेना |

**4. हस्तक्षेप.**—किसी रेडियो संसूचना प्रणाली में अभिग्रहण पर किसी एक उत्सर्जन या उत्सर्जनों के संयोजनों, विकिरण या प्रेरण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव किसी ऐसे निष्पादन के निम्नीकरण, अपनिर्वचन या सूचना की हानि के रूप में जो ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में प्राप्त की जा सकती है, वहां प्रकट होता है जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है यह सूचित करता है कि उसको अनुज्ञप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संसूचना प्रणाली से हानिकारक हस्तक्षेप प्राप्त हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्त बेतार उपस्कर का उपयोगकर्ता, उपस्कर को पुन:अवस्थित करके, क्षमता को कम करके, विशेष प्रकार के ऐन्टेना के उपयोग द्वारा जिसमें यदि अपेक्षित हो तो ऐसे बेतार के उपयोग को रोका जाना भी सम्मिलित है, हस्तक्षेप का निवारण करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा :

परन्तु ऐसे रोके जाने से पूर्व बेतार उपस्कर के अननुज्ञप्त उपयोगकर्ता को परिस्थितियां स्पष्ट करने का एक युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

**5. उपस्कर.**—(1) चिकित्सा बेतार युक्ति या उपस्कर अनुमोदित प्रकार का होगा और ऐसी रीति से डिजाइन किया गया तथा सन्निर्मित होगा जो उत्सर्जन के बैंडविड्थ और अन्य प्राचल उक्त नियमों में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार हैं ।

(2) अनुमोदित प्रकार के उपस्कर को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में जो वेबसाईट www.wpc.dot.gov.in. पर उपलब्ध होगा, केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा ।

**6. शर्तें.**—ये नियम,—

(i) इस आवर्ती बैंड में विद्यमान और योजनाबद्ध बेतार प्रचालनों के अनुज्ञप्त अधिकारों या प्रक्रिया को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करते हैं;

(ii) जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार से विनिर्दिष्ट सेवा अनुज्ञप्त अपेक्षित है, लागू नहीं होते हैं ।

[सं. आर-11020/03/2008-पीपी]

महा सिंह, सहायक बेतार सलाहकार

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### (Wireless Planning and Coordination Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2008

G.S.R. 673(E). —In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the use of very low power remote cardiac monitoring radio frequency wireless medical devices, medical implant communication systems (MICS) or medical implant telemetry systems (MITS), and other such very low power medical radio frequency wireless devices or equipments (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2008.

(2) These rules shall be applicable in the 402-405MHz frequency band.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;

(c) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

3. **Use of very low power remote cardiac monitoring radio frequency wireless medical devices, medical implant communication systems (MICS) or medical implant telemetry systems (MITS), and other such very low power medical radio frequency wireless devices or equipments in the 402-405MHz frequency band.** : Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power remote cardiac monitoring radio frequency wireless medical devices, medical implant communication systems (MICS) or medical implant telemetry systems (MITS), and other such very low power medical radio frequency wireless devices or equipments in the 402-405MHz frequency band, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the Maximum Effective Isotropic Radiated Power and other technical parameters as specified in the Table below, namely :—

**TABLE**

| Frequency Band | Maximum Effective Radiated Power (ERP) and Emission Bandwidth | Type of Antenna |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 402-405MHz | Maximum Effective Radiated Power (Maximum ERP) of 25 micro Watt or less, with channel emission bandwidth within 300KHz. | Built-in Antenna |

4. **Interference.**—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antenna including discontinuation of such wireless use, if required :

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstnces shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment.

5. **Equipment.**—(1) The medical wireless device or equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in above rules.

(2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such application format which shall be available on website; www.wpc.dot.gov.in.

6. **Conditions.**—These rules,—

(i) do not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operation, in this frequency band;

(ii) are not applicable, wherever specific service license is required from the Central Government.

[No. R-11020/03/2008-PP]

MAHA SINGH, Assistant Wireless Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.